

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./2015/

भोपाल, दिनांक /04/2015

## आदेश

National Disaster Management Authority, Government Of India, New Delhi एवं Centers for Disease Control Prevention Atlanta (USA) द्वारा दिनांक 24-25 अप्रैल 2015 की अवधि में 'Medical Management of Chemical, Radiological & Exposive (CRNE) Injuries' विषय पर डॉ. डी.वाय. पाटिल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे- 411018 के ऑडिटोरियम में 02 दिवसीय Sensitization programme का आयोजन किया गया है।

उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निम्न विभागीय विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारियों को नामांकित किया जाता है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	पदस्थापना स्थान	मोबाईल नं.
1	डॉ. राजकुमार चौधरी	जिला चिकित्सालय, जबलपुर	0761-2621831 (सी.एस.)
2	डॉ. शिवराम प्रसाद द्विवेदी	जिला चिकित्सालय, अनूपपुर	9425373164
3	डॉ. अशोक कुमार लिलाहरे	जिला चिकित्सालय, बालाघाट	9424391011
4	डॉ. धनराज सिंह	जिला चिकित्सालय, डिण्डोरी	8989471272
5	डॉ. मनोज मुराली	जिला चिकित्सालय, मंडला	9425165271
6	डॉ. सुरेश कुमार नेमा	जिला चिकित्सालय, सिवनी	9425159871
7	डॉ. संपूर्णानंद दुबे	जिला चिकित्सालय, शहडोल	9425180859
8	डॉ. सरकार बहादुर खरे	जिला चिकित्सालय, सीधी	9425179510
9	डॉ. बद्री सिंह	जिला चिकित्सालय, सिंगरौली	9425331533
10	डॉ. बी.पी. पटेल	जिला चिकित्सालय, उमरिया	9424333120 (सी.एस.)

उपरोक्तानुसार सूची में दर्शायी समस्त नामांकित विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अनिवार्य रूप से डॉ. टी.एस. सचदेवा, तकनीकी प्रतिनिधी, National Disaster Management Authority, Government Of India, New Delhi से दूरभाष क्र. 011-26701800, मो. 9711257700 एवं ई-मेल [sachdeva9@yahoo.in](mailto:sachdeva9@yahoo.in) से संपर्क करेंगे।

- प्रशिक्षणार्थियों के चाय एवं लंच की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जावेगी।
- उक्त कार्यक्रम हेतु प्रतिभागियों को कोई कोर्स फीस देय नहीं होगी।
- प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा/दैनिक भत्ता शासकीय नियमानुसार उनके पदस्थापना स्थल से भुगतान किया जावेगा।
- प्रतिभागियों को उनके ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ० बी०एस० ओहरी)

संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 25/04/2015

पृ.क्र./प्रशि./2015/ 189

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित/प्रेषित :-

- संयुक्त सचिव, भारत शासन, नेशनल डिजॉस्टर मैनेजमेन्ट अथॉरिटी, नईदिल्ली।
- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
- स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जबलपुर, अनूपपुर, बालाघाट, डिण्डोरी, मंडला, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया म.प्र. की ओर भेज कर लेख है कि आप कृपया आदेश में दर्शाये अनुसार संबंधित चिकित्सक को तत्काल प्रभाव से नियत दिनांक एवं समय पर उपरोक्तानुसार 02 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अनिवार्य रूप से कार्य मुक्त करें।

- समस्त संबंधित विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी (क्र. 1 से 10 तक) की ओर पालनार्थ।

संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.